



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-02022023-243342
CG-DL-W-02022023-243342

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 3]

नई दिल्ली, जनवरी 22—जनवरी 28, 2023, शनिवार/ माघ 2—माघ 8, 1944

No. 3]

NEW DELHI, JANUARY 22—JANUARY 28, 2023, SATURDAY/ MAGHA 2—MAGHA 8, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2023

सा.का.नि. 8.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, बांकुरा, पश्चिम बंगाल में लेखाकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, लेखाकार, (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2023 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरर्हता: वह व्यक्ति—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;
 उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
लेखाकार	01*(2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रुपए)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति; भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा शामिल है)/ प्रोन्नति।
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा		यदि विभागीय प्रोन्नति समिति	भर्ती करने में किन

में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	है, तो उसकी संरचना	परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा शामिल है): केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जो मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर रोकड़िया की श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान से रोकड़ एवं लेखा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। ऐसे विभागीय रोकड़ियां जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रु.) में उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान से रोकड़ एवं लेखा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है बाहर वालो के साथ विचार किया जाएगा और उसके पद पर नियुक्ति के लिए चयन किए जाने की दशा में वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए.12018/67/2019-कुष्ठ]

मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 24th January, 2023

G.S.R. 8.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Accountant in the Ministry of Health and Family Welfare, Regional Leprosy Training and Research Institute, Gouripur, Bankura, West Bengal, namely: -

1. Short title and commencement. -(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Regional Leprosy Training and Research Institute, Gouripur, Accountant (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.- The number of the said post, its classification and level in pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection-post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Accountant.	01*(2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 in the pay matrix. (Rs. 29200-92300).	Not applicable.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grade from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitments.
(10)	(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract)/promotion.	Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government, State Government or Union Territories, holding, - (a) (i) analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade of Cashier rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) having undergone Cash and Accounts Training successfully from the Institute of Secretariat Training and Management. The departmental Cashier in the pay level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix with five years regular service in the grade and after successful completion of Cash and Accounts training from the Institute of Secretariat Training and Management, will also be considered along with outsiders and in case he/she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.	Not applicable.	Not applicable.

	(The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.)		
--	---	--	--

[F. No. A-12018/67/2019-Lep]

MANOJ KUMAR UPADHYAY, Under Secy.